भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 456

03 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

लौह-अयस्क का धातुमल

456. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खनन के दौरान काफी मात्रा में लौह-अयस्क का धातुमल (स्लैग) निकलता है जो प्रसंस्करण के बिना भट्टी में उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश खदान मालिक पूंजीगत व्यय को बचाने के उद्देश्य से प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार नहीं होते और इस अयस्क धातुमल को कचरे के रूप में अलग कर दिया जाता है जिसके कारण प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण होता है;

(ग) यदि हां, तो उक्त संयंत्रों की स्थापना को अनिवार्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में अनुपालन/कार्यान्वयन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : जी, नहीं। लौह अयस्क खनन के दौरान कोई धातुमल (स्लैग) नहीं निकलता है। स्लैग, स्मेल्टिंग/इस्पात निर्माण के दौरान निकलता है। तथापि, खनन के दौरान निम्न/सब-ग्रेड अयस्क निकलते हैं और उसे निर्दिष्ट क्षेत्र में डंप किया जाता है।

(ख) : निम्न/सब-ग्रेड अयस्क में लौह का प्रतिशत बहुत कम होता है जिसका प्रयोग लोहा और इस्पात निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है।

(ग) तथा (घ) : वर्तमान प्रौद्योगिकी निम्न/सब-ग्रेड लौह अयस्क के प्रसंस्करण में सहायता नहीं करती है। तथापि, निम्न/सब-ग्रेड अयस्क के प्रभावी उपयोग के लिए सज्जीकरण (बेनिफिसिएशन)/खनिज प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास कार्य किए जा रहे हैं।

******